# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 218/2022

श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम पोस्ट नांगल, वार्ड नं0 10, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333307

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) गुढागौडजी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 18.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 218/2022 पर दिनांक 22.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) गुढागौडजी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2794—95 दिनांक 22.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) गुढागौडजी ने पत्रांक सू0अ0/2022/294 दिनांक 30.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम पोस्ट नांगल, वार्ड नं0 10, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/237 दिनांक 07. 06.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) गुढागौडजी ने पत्रांक सू0अ0/2022/294 दिनांक 30.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम पोस्ट नांगल, वार्ड नं0 10, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/237 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:17 IST
Reason: SelfAttested

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं